पत्रांक अ0स0क0 14-25/2014........./

बिहार सरकार

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

प्रेषक,

आमिर सुबहानी
सरकार के प्रधान सचिव

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार
पटना

पटना, दिनांक : ....

विषय : एम0एस0डी0पी0 योजना द्वारा निर्मित अल्पसंख्यक बालक छात्रावास एम0बी0टी0ए0 इस्लामिया +2 उच्च विद्यालय कटिहार जिले में नवनिर्मित छात्रावास के लिए सुसज्जन हेतु वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 2015-16 में कुल 84,000/-(चौरासी हजार) रुपये मात्र की स्वीकृति तथा निकासी हेतु आवंटन दिये जाने के सम्बंध में ।

आदेश : स्वीकृत ।

1. जिला पदाधिकारी, कटिहार द्वारा अपने पत्रांक 306/अ०क० दिनांक 16.06.2015 द्वारा संचालित छात्रावास के लिए आवश्यक उपस्कर (डायनिंग टेबुल, कुर्सी, फाईबर कुर्सी एवं फाईबर टेबुल) क्रय करने हेतु राशि की मांग की गयी हैं । जिसके आलोक में छात्रावास के सुचारू संचालन हेतु आधुनिकीकरण मद से सुसज्जन/उपस्करों के क्रय हेतु वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 2015-16 में कुल 84,000/-(चौरासी हजार) रुपये की स्वीकृति एवं आवंटन दिया जाता है ।

2. उपर्युक्त स्वीकृत राशि को निम्नाकित रूप में व्यय हेतु कर्णांकित की जाती है :-

क्रमांक	सामग्रियों का नाम	मात्रा/अदद	कर्णांकित राशि
1	डायनिंग टेबुल 10'x 4'	02 अदद	20,000
2	डायनिंग टेबुल का कुर्सी	24 अदद	24,000
3	कॉमन रूम के लिए फाईबर कुर्सी	50 अदद	30,000
4	कॉमन रूम के लिए फाईबर टेबुल	08 अदद	10,000
	अंश योग		**84,000**

3. उपर्युक्त कंडिका (1) में स्वीकृत एवं आवंटित राशि बजट मुख्य शीर्ष 2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण, उप मुख्य शीर्ष 03- पिछड़े वर्गो का कल्याण, लघु शीर्ष 277- शिक्षा, समूह शीर्ष राज्य योजना मांग संख्या- 30 के अन्तर्गत उप शीर्ष 0111-अल्पसंख्यक छात्रावासों में रख-रखाव एवं आधुनिकीकरण योजना- 21 01 सामग्री एवं पूर्तियाँ विपत्र कोड पी०-2225032770111 राज्य योजना कोड एम०आई०डब्लू०-5636 में उपबंधित राशि से वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015-16 में विकलनीय होगा ।

4. इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, कटिहार होंगे तथा राशि की निकासी संबंधित जिला कोषागार से की जायेगी । सुसज्जन/उपस्करों के क्रय हेतु विधिवत स्वीकृति की कार्रवाई अनुमान्य होगी तथा इस संबंध में वित्तीय नियमावली का अनुपालन अनिवार्य होगा ।

5. सूची में अंकित कर्णांकित राशि लगभग मूल्य मात्र है ।किसी समग्री के लिए कर्णांकित राशि में से बची हुई राशि सूची में अंकित दूसरी समग्री के क्रय के लिए व्यय की जा सकती है ।

6. वित्त विभाग के पत्रांक 7355 वि0 दिनांक 05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता नही है ।
इस राशि की निकासी हेतु अलग से आवंटन आदेश की आवश्यकता नही है ।

कृ0पृ0उ0

7. इस योजनान्तर्गत वित्त विभाग के पत्रांक 4989/वि0 (2) दिनांक 16.05.2013 की सभी कंडिकाओं का अनुपालन संबंधित विपत्र में अपेक्षित होगा ।

8. इस राशि की निकासी के पश्चात कुल दी गयी राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र व्यय होने के पश्चात् भेजना सुनिश्चित की जाये ।

9. सामग्री क्रय नियमानुसार जिला क्रय समिति के द्वारा वित्त नियमावली के अनुरूप किया जाय । आपूर्त्ति कर्ता द्वारा सामग्री आपूर्त्ति के पश्चात् जिला पदाधिकारी अथवा उनके द्वारा मनोनित पदाधिकारी द्वारा भौतिक रूप से गुणवत्ता की जाँच की जाएगी तथा संतुष्ट होने के पश्चात भुगतान किया जाएगा ।

विश्वासभाजन
ह0/-
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक .... पटना, दिनांक ....

प्रतिलिपिः- वित्त विभाग, बजट शाखा/जिला कोषागार पदाधिकारी, कटिहार को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेत प्रेषित ।

ह0/-
सरकार के प्रधान सचिव

ई-मेल

ज्ञापांक ..206..... पटना, दिनांक 6/7/15

प्रतिलिपिः- जिला पदाधिकारी, कटिहार/जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी कटिहार को सूचना एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

सरकार के प्रधान सचिव
2.7.15